पत्र संख्या–7/भा0स0प0–17–03/08 का0...../
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी विभागीय, प्रधान सचिव/विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक.....मई, 2013

विषयः अन्य पिछड़े वर्ग (ओ0बी0सी0) के आरक्षण दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गो (सम्पन्न वर्गो) को बाहर रखने के लिए आय के मानदंडों में संशोधन।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या–7/नीति क्रीमीलेयर–07/2002 का0–3482/ राँची, दिनांक– 10.06.2002 के निर्णय के अनुसार भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–3612/22/93 दिनांक–08.09.1993 में क्रीमीलेयर के पहचान की निर्धारित क्राईटेरिया इस राज्य में पूर्णरूपेण लागू है।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36033/1/2013–Estt.(Res.) दिनांक– 27.05.2013 के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (ओ0बी0सी0) के आरक्षण दायरे से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/ वर्गो (सम्पन्न वर्गो) को बाहर रखने के लिए आय के मानदंडों में संशोधन करते हुए अब वार्षिक आय 4.50 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रूपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था तात्कलिक प्रभाव से इस राज्य में लागू मानी जायेगी ।

एतदर्थ, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36033/1/2013–Estt.(Res.) दिनांक– 27.05.2013 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

एतद विषयक पूर्व निर्गत पत्र संख्या–7097 दिनांक–30.10.2009, 1992 दिनांक–26.03.2009, 701 दिनांक–30.01.2009 तथा पत्र संख्या– 6903 दिनांक–12.12.2008 तदनुसार संशोधित समझे जाएगें।

विश्वासभाजन

ह0/–
(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक संख्या–7/भा0स0प0–17–03/08 का0 5102 /राँची, दिनांक– 13/06/13

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रेवश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद राँची को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/6/13
सरकार के उप सचिव।

सं. 36033/1/2013-स्था.(आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

*****

नई दिल्ली, 27,मई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) को अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव) के आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए आय के मानदंड में संशोधन ।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. (एससीटी) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि लगातार तीन वर्षों तक एक लाख या उससे अधिक सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के पुत्र और पुत्रियाँ नवोन्नत वर्ग के दायरे में आएंगे और वे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे । नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु उपर्युक्त आय सीमा को बाद में 2.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया और तदनुसार दिनांक 8 सितम्बर 1993 के कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-ए के अंतर्गत "एक लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को इस विभाग के दिनांक 9.3.2004 और 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था (आरक्षण) द्वारा संशोधित कर क्रमशः "रुपए 2.5 लाख" और "रुपए 4.5 लाख" कर दिया गया था ।

2. अब, अन्य पिछड़े वर्गों में नवोन्नत वर्ग के निर्धारण हेतु वार्षिक आय सीमा 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार, इस विभाग के दिनांक 8 सितम्बर 1993 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची की श्रेणी-VI के अंतर्गत "4.5 लाख रुपए" की अभिव्यक्ति को "छह लाख रुपए" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान 16 मई 2013 से प्रभावी हैं ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(शरद कुमार श्रीवास्तव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

2.. वित्त सेवा विभाग, नई दिल्ली

3. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली

4. रेलवे बोर्ड , नई दिल्ली

5. संघ लोक सेवा आयोग/उच्चतम न्यायालय/चुनाव आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडलीय सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजाना आयोग

6. कर्मचारी चयन आयोग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

7. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

8. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग/अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली

9. पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, त्रिकुट -1, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली

10. महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

11. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (100 प्रतियां)

12. एनआईसी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विभाग की वेबसाइट पर OMs & orders > Estt.(Res.) > SC/ST/OBC तथा 'What's New' पर इसे अपलोड कर दें।

प्रतियां पेषित :

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।